

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या-335/नौ-4-18-5ईओ/2018
लखनऊ: दिनांक-01 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित नगर निकायों में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार कालम-3 में उल्लिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र०	निकाय का नाम	उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी का नाम
1	2	3
1	नगर पालिका परिषद, बिजनौर	श्री गजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम, बिजनौर
2	नगर पालिका परिषद, नहटौर	श्री उद्भव त्रिपाठी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वितीय, बिजनौर
3	नगर पंचायत, बढापुर	श्री इन्द्रजीत सिंह, परिवीक्षाधीन आई०ए०एस०, उप जिलाधिकारी, नगीना

2. उक्त निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-335(1)/नौ-4-18-5ईओ/2018 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बिजनौर।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बिजनौर, नहटौर (बिजनौर), बढापुर (बिजनौर)।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।